न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता जिला बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी जनक सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–147/2019

1. पुरूषोतम आयु 50 वर्ष पुत्र श्री धन्नालाल जाति धाकड निवासी भौराजेडी तहसील अन्ता जिला बारां राज0
2. कुन्जबिहारी आयु 43 वर्ष पुत्र श्री धन्नालाल जाति धाकड निवासी भौराजेडी तहसील अन्ता जिला बारां राज0
3. दिनेश कुमार आयु 40 वर्ष पुत्र श्री धन्नालाल जाति धाकड निवासी भौराजेडी तहसील अन्ता जिला बारां राज0 (वादीगण)

बनाम

1. धन्नालाल आयु 80 साल पुत्र श्री मूलीलाल जाति धाकड निवासी भौराजेडी तहसील अन्ता जिला बारां राज0
2. शान्तिबाई पुत्री मथुरालाल पत्नि धन्नालाल
3. विद्याबाई पुत्री मथुरालाल पत्नि रामलाल जाति धाकड निवासी आमापुरा बारां तहसील बारां जिला बारां राज0
4. कलावतीबाई पुत्री धन्नालाल पत्नि अमृतलाल जाति धाकड निवासी गोदयापुरा उर्फ दुर्जनपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां राज0
5. विमलाबाई पुत्री धन्नालाल पत्नि हंसराज जाति धाकड निवासी सोरसन तह0 अन्ता जिला बारां राज0
6. बसन्तीबाई पुत्री धन्नालाल पत्नि हरिशंकर जाति धाकड निवासी डाबरी नक्कीजी तह0 अन्ता जिला बारां राज0
7. कमलेश पुत्री धन्नालाल जाति धाकड निवासी घाटोलिया तहसील सांगोद जिला कोटा राज0
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा0 अन्ता जिला बारां राज0 (प्रतिवादीगण)

उपस्थित वकील :– श्री भगवान प्रसाद दाधीच (वादीगण)
श्री हरिश शर्मा (प्रतिवादीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांकः– 28/06/19

प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम भौराजेडी तहसील अन्ता में खाता संख्या 120 मे खसरा नं. 206/854 रकबा 3.39 है0, खसरा नं. 305 रकबा 0.12 है0 किता 2 रकबा 3.51 है0 भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के नाम खाते दर्ज है, तथा ग्राम कोटडी में खाता संख्या 122 में खसरा नं. 562 रकबा 1.58 है0 भूमि प्रतिवादिया क्रम 2 के नाम खाते दर्ज है, तथा ग्राम नियाना में खाता संख्या 217 में खसरा नं. 535 रकबा 3.54 है0 भूमि प्रतिवादिया क्रम 2 के नाम खाते दर्ज है एवं ग्राम बिलेण्डी में खाता संख्या 55 में खसरा नं. 182 रकबा 1.58 है0 भूमि प्रतिवादिया क्रम 2 के नाम खाते दर्ज है।

उक्त आराजियात को इस वाद पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

पक्षकारों का सजरा निम्नानुसार है :–

धन्नालाल

पुरूषोतम	कुन्जबिहारी	दिनेश कुमार	विद्याबाई	कलावती	विमलाबाई	बसन्तीबाई	कमलेशबाई	शांतिबाई
पुत्र	पुत्र	पुत्र	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पत्नि

उक्त आराजियात प्रतिवादी क्रम 1 व प्रतिवादिया क्रम 2 के नाम खाते दर्ज है उक्त आराजियात में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 2 ता 7 का हक अधिकार जन्म नियत है। उक्त विवादित आराजियात में से ग्राम नियाना में खाता संख्या 217 खसरा नं. 535 रकबा 3.54 है. में से 1.77 है. पूर्वी भूमि तथा ग्राम भौराजेडी में खसरा नं. 206/854 रकबा 1.07 है0 भूमि पर वादी क्रम 1 पुरूषोतम मुताबिक पारिवारिक बटवारा अनुसार काबिज काश्त करता चला आ रहा है। उक्त विवादित आरातियात में से ग्राम नियाना में खाता संख्या 217 खसरा नं. 535 रकबा 3.54 है0 मे 1.77 है0 पश्चिमी भूमि तथा ग्राम भौराजेडी में खसरा नं. 305 रकबा 0.12 है0 पूर्वी, खसरा नं. 206/854 रकबा 0.67 है0 भूमि पर वादी क्रम 2 कुन्जबिहारी मुताबिक पारिवारिक बटवारा अनुसार काबिज काश्त करता चला आ रहा है। उक्त विवादित आराजियात में से ग्राम भौराजेडी में खसरा नं. 206/584 रकबा 3.54 है0 मे 1.65 है0 दक्षिणी ग्राम कोटडी में खाता संख्या 122 खसरा नं. 562 रकबा 1.58 है0 भूमि दिनेश कुमार के रहेगी। उक्त विवादित आराजियात मे से ग्राम बिलेण्डी में खाता संख्या 55 खसरा नं. 182 है0 में 1.54 है0 भूमि प्रतिवादिया क्रम 1 व 2 के हिस्से में रहेगी। जिस पर मुताबिक पारिवारिक बटवारा अनुसार काबिज काश्त करती चली आ रही है तथा नाम प्रतिवादिया क्रम 2 के रहेगी। उक्त विवादित आराजियात में से प्रतिवादिया क्रम 3 ता 7 अपने हिस्से की भूमि का परित्याग वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पक्ष में करती है। जिससे सम्पूर्ण आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पक्ष में करती है। जिससे सम्पूर्ण आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 उपरोक्त हिस्सेनुसार काबिज काश्त रहेगे। उक्त विवादित आराजियात प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के खाते दर्ज होने से वादीगण को अपने अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करने एवं सरकारी योजनाओं को लाभ करने में काफी परेशानी हो रही है। जिस कारण वादीगण को उपरोक्त हिस्से अनुसार बतौर खातेदारी काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 3 ता 7 ने अपने हिस्से का परित्याग मौखिक रूप से कर दिया है। वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें कि वादीगण के कब्जे काश्त एवं हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलांदाजी नही करे रहन बेचान या खुर्द बुर्द नही करे, वादीगण को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे। वाद कारण दिनांक 28.05.2019 को वादीगण ने प्रतिवादीगण से अपने हिस्से की भूमि खाते दर्ज करवानें के लिए कहा तो प्रतिवादीगण साफ इन्कार हो गये और जबरन कब्जा करने की धमकी देने पर बमुकाम ग्राम भौराजेडी तहसील अन्ता में उत्पन्न हुआ। वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, बारां का धारा 80 सीपीसी का नोटिस भेज दिया गया है। जिसकी अवधि अभी समाप्त नही हुई है। नोटिस की समयावधि के गुजरने से पूर्व यह वादपत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सीपीसी के तहत पेंश किया गया है। वाद पत्र का माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार को प्राप्त है।

अतः वाद पत्र पेंश कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की सादिर डिक्री एवं निर्णय पारित फरमाया जावें कि :–

1. वाके माल ग्राम भौराजेडी तहसील अन्ता में खाता संख्या 120 में खसरा नं. 206/854 रकबा 3.39 है0, खसरा नं. 305 रकबा 0.12 है0 किता 2 रकबा 3.51 है0 भूमि तथा ग्राम कोटडी में खाता संख्या 122 में खसरा नं. 562 रकबा 1.58 है0 भूमि तथा ग्राम नियाना में खाता संख्या 217 में खसरा नं. 535 रकबा 3.54 है0 भूमि एवं ग्राम बिलेण्डी में खाता संख्या 55 में खसरा नं. 182 रकबा 1.58 है0 भूमि का वादीगण को बतोर सहखातेदार ग्राम भौराजेडी में खसरा नं. 206/584 रकबा 3.54 है0 में 0.67 है0 ग्राम नियाना में खाता संख्या 217 खसरा नं. 535 रकबा 3.54 है0 मे से 1.77 है0 पश्चिमी, ग्राम भौराजेडी तह0 अन्ता में खसरा नं. 305 रकबा 0.12 है0 पूर्वी ग्राम कोटडी में खसरा नं. 562 रकबा 1.58 है0 दिनेश कुमार को तथा ग्राम बिलेण्डी में खाता संख्या 55 खसरा नं. 182 है0 में 1.54 है0 भूमि प्रतिवादिया क्रम 2 को उपरोक्तानुसार हिस्से अनुसार बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।
2. वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें कि वादीगण के कब्जे काश्त एवं हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलांदाजी नही करे रहन बेचान या खुर्द बुर्द नही करें, वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें। अन्य न्यायोचित सहायता वादीगण से प्रतिवादीगण को दिलायी जावें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने के पर रिर्पोट सरिस्ता ली गई प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी करवाई गई प्रतिवादीगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश नहीं कर आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर सीधा राजीनामा पेश किया राजीनामानुसार ग्राम भौराजेडी तहसील अन्ता में खाता संख्या 120 में खसरा नं. 206/854 रकबा 3.39 है0, खसरा नं. 305 रकबा 0.12 है0 किता 2 रकबा 3.51 है0 भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के नाम खाते दर्ज है। तथा ग्राम कोटडी में खाता संख्या 122 में खसरा नं. 562 रकबा 1.58 है0 भूमि प्रतिवादिया क्रम 2 के नाम खाते दर्ज है, तथा ग्राम नियाना में खाता संख्या 217 में खसरा नं. 535 रकबा 3.54 है0 भूमि प्रतिवादिया क्रम 2 के नाम खाते दर्ज है एवं ग्राम बिलेण्डी में खाता संख्या 55 में खसरा नं. 182 रकबा 1.58 है0 भूमि प्रतिवादिया क्रम 2 के नाम खाते दर्ज है।

पक्षकारों का सजरा निम्नानुसार है :–

धन्नालाल

पुरूषोतम	कुन्जबिहारी	दिनेश कुमार	विद्याबाई	कलावती	विमलाबाई	बसन्तीबाई	कमलेशबाई	शांतिबाई
पुत्र	पुत्र	पुत्र	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पत्नि

उक्त आराजियात प्रतिवादी क्रम 1 व प्रतिवादिया क्रम 2 के नाम खाते दर्ज है उक्त आराजियात में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 2 ता 7 का हक अधिकार जन्म नियत है। वादीगण उक्त आराजी को निम्नानुसार अपने अपने हिस्से की भूमि को मौखिक, पारिवारिक बटवारा अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाते दर्ज करवाना चाहते है। जिसमें किसी भी पक्ष का कोई ऐतराज नही है। उक्त विवादित आराजियात में से ग्राम नियाना में खाता संख्या 217 खसरा नं. 535 रकबा 3.54 है. में से 1.77 है. पूर्वी भूमि तथा ग्राम भौराजेडी में खसरा नं. 206/854 रकबा 1.07 है0 भूमि पर वादी क्रम 1 पुरूषोतम मुताबिक पारिवारिक बटवारा अनुसार काबिज काश्त

करता चला आ रहा है। उक्त विवादित आरातियात में से ग्राम नियाना में खाता संख्या 217 खसरा नं. 535 रकबा 3.54 है0 मे 1.77 है0 पश्चिमी भूमि तथा ग्राम भौराजेडी में खसरा नं. 305 रकबा 0.12 है0 पूर्वी, खसरा नं. 206/854 रकबा 0.67 है0 भूमि पर वादी क्रम 2 कुन्जबिहारी मुताबिक पारिवारिक बटवारा अनुसार काबिज काश्त करता चला आ रहा है। उक्त विवादित आराजियात में से ग्राम भौराजेडी में खसरा नं. 206/584 रकबा 3.54 है0 मे 1.65 है0 दक्षिणी ग्राम कोटडी में खाता संख्या 122 खसरा नं. 562 रकबा 1.58 है0 भूमि दिनेश कुमार के रहेगी। उक्त विवादित आराजियात मे से ग्राम बिलेण्डी में खाता संख्या 55 खसरा नं. 182 है0 में 1.54 है0 भूमि प्रतिवादिया क्रम 1 व 2 के हिस्से में रहेगी। जिस पर मुताबिक पारिवारिक बटवारा अनुसार काबिज काश्त करती चली आ रही है तथा नाम प्रतिवादिया क्रम 2 के रहेगी। उक्त विवादित आराजियात में से प्रतिवादिया क्रम 3 ता 7 अपने हिस्से की भूमि का परित्याग वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पक्ष में करती है। जिससे सम्पूर्ण आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पक्ष में करती है। जिससे सम्पूर्ण आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 उपरोक्त हिस्सेनुसार काबिज काश्त रहेगे। प्रतिवादिया क्रम 3 ता 7 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 के खाते दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण उक्त भूमि उपरोक्त हिस्से अनुसार अलग अलग खाते दर्ज किये जाने हेतु सहमत है।

अतः राजीनामा पेंश कर निवेदन है कि वाके माल ग्राम भौराजेडी तहसील अन्ता में खाता संख्या 120 में खसरा नं. 206/854 रकबा 3.39 है0, खसरा नं. 305 रकबा 0.12 है0 किता 2 रकबा 3.51 है0 भूमि तथा ग्राम कोटडी में खाता संख्या 122 में खसरा नं. 562 रकबा 1.58 है0 भूमि तथा ग्राम नियाना में खाता संख्या 217 में खसरा नं. 535 रकबा 3.54 है0 भूमि एवं ग्राम बिलेण्डी में खाता संख्या 55 में खसरा नं. 182 रकबा 1.58 है0 भूमि का वादीगण को बतोर सहखातेदार ग्राम भौराजेडी में खसरा नं. 206/584 रकबा 3.54 है0 में 0.67 है0 ग्राम नियाना में खाता संख्या 217 खसरा नं. 535 रकबा 3.54 है0 मे से 1.77 है0 पश्चिमी, ग्राम भौराजेडी तह0 अन्ता में खसरा नं. 305 रकबा 0.12 है0 पूर्वी ग्राम कोटडी में खसरा नं. 562 रकबा 1.58 है0 दिनेश कुमार को तथा ग्राम बिलेण्डी में खाता संख्या 55 खसरा नं. 182 है0 में 1.54 है0 भूमि प्रतिवादिया क्रम 2 को उपरोक्तानुसार हिस्से अनुसार बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। राजीनामा अनुसार वादीगण का दावा डिक्री, निर्णय फरमाया जावे।

प्रस्तुत वाद/दस्तोवजो का गहन अध्ययन किया गया एवं अभिभाषक पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत राजीनामा पक्षकारों को पढ़कर सुनाया गया तथा पक्षकारों द्वारा राजीनामा अपने स्वंय के द्वारा लिखवाया जाना स्वीकार किया गया। वादीगण की पहचान श्री भगवान प्रसाद दाधीच अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण की पहचान श्री हरिश शर्मा अधिवक्ता द्वारा की गयी। राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि राजीनामा अनुसार वाके ग्राम नियाना में खाता संख्या 217 खसरा नं. 535 रकबा 3.54 है. में से 1.77 है. पूर्वी भूमि तथा ग्राम भौराजेडी में खसरा नं. 206/854 रकबा 1.07 है0 भूमि पर वादी क्रम 1 पुरूषोतम के खाते रहेगी। एवं उक्त आराजियात में से ग्राम नियाना में खाता संख्या 217 खसरा नं. 535 रकबा 3.54 है0 मे से 1.77 है0 पश्चिमी भूमि तथा ग्राम भौराजेडी में खसरा नं. 305 रकबा 0.12 है0 पूर्वी, खसरा नं. 206/854 रकबा 0.67 है0 भूमि वादी क्रम 2 कुन्जबिहारी के खाते रहेगी। एवं उक्त विवादित आराजियात में से ग्राम भौराजेडी में खसरा नं. 206/584 रकबा 3.54 है0 भूमि मे से 1.65 है0 भूमि दक्षिणी व ग्राम कोटडी में खाता संख्या

122 खसरा नं. 562 रकबा 1.58 है0 भूमि वादी क्रम 3 दिनेश कुमार के खाते दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादिया क्रम 3 ता 7 अपने हिस्से की भूमि का परित्याग बराबर–बराबर वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पक्ष में किये जाने से उक्त भूमि में इनका कोई हक नही रहेगा। राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जाकर अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार अन्ता को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में वर्णित भूमि पर समस्त प्रकार के भार/ऋण (रहन) यदि कोई होतो यथावत दर्ज किया जावे। एवं आवश्यक हो तो नियमानुसार हकतर्क स्टाम्प डयूटी जमा करवाई जाकर निर्णय अनुसार पालना कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय हमारे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28/06/19 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जनक सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
अन्ता जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(औ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अन्ता जिला बारा बइजलास

पीठासीन अधिकारी श्री जनक सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–147 / 2019

1. पुरूषोतम आयु 50 वर्ष पुत्र श्री धन्नालाल जाति धाकड निवासी भौराजेडी तहसील अन्ता
2. कुन्जबिहारी आयु 43 वर्ष पुत्र श्री धन्नालाल जाति धाकड निवासी भौराजेडी तहसील अन्ता
3. दिनेश कुमार आयु 40 वर्ष पुत्र श्री धन्नालाल जाति धाकड निवासी भौराजेडी तहसील अन्ता जिला बारां राज0

(वादीगण)

बनाम

1. धन्नालाल आयु 80 साल पुत्र श्री मूलीलाल जाति धाकड निवासी भौराजेडी तहसील अन्ता
2. शान्तिबाई पुत्री मथुरालाल पत्नि धन्नालाल
3. विद्याबाई पुत्री मथुरालाल पत्नि रामलाल जाति धाकड निवासी आमापुरा बारां तहसील बारां
4. कलावतीबाई पुत्री धन्नालाल पत्नि अमृतलाल जाति धाकड निवासी गोदयापुरा उर्फ दुर्जनपुरा बारां तहसील मांगरोल जिला बारां राज0
5. विमलाबाई पुत्री धन्नालाल पत्नि हंसराज जाति धाकड निवासी सोरसन तह0 अन्ता
6. बसन्तीबाई पुत्री धन्नालाल पत्नि हरिशंकर जाति धाकड निवासी डाबरी नक्कीजी तह0 अन्ता
7. कमलेश पुत्री धन्नालाल जाति धाकड निवासी घांटोलिया तहसील सांगोद जिला कोटा राज0
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा0 अन्ता जिला बारां राज0

(प्रतिवादीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांकः– 28/06/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसा कतई रूबरू **श्री भगवान प्रसाद दाधीच** एडवाकेट हाजरी मिनजानिब मुददई रूबरू **श्री हरिश शर्मा** पेश हो कर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम नियाना में खाता संख्या 217 खसरा नं. 535 रकबा 3.54 है. में से 1.77 है. पूर्वी भूमि तथा ग्राम भौराजेडी में खसरा नं. 206 / 854 रकबा 1.07 है0 भूमि पर वादी क्रम 1 पुरूषोतम के खाते रहेगी। एवं उक्त आराजियात में से ग्राम नियाना में खाता संख्या 217 खसरा नं. 535 रकबा 3.54 है0 मे से 1.77 है0 पश्चिमी भूमि तथा ग्राम भौराजेडी में खसरा नं. 305 रकबा 0.12 है0 पूर्वी, खसरा नं. 206 / 854 रकबा 0.67 है0 भूमि वादी क्रम 2 कुन्जबिहारी के खाते रहेगी। एवं उक्त विवादित आराजियात में से ग्राम भौराजेडी में खसरा नं. 206 / 584 रकबा 3.54 है0 भूमि मे से 1.65 है0 भूमि दक्षिणी व ग्राम कोटडी में खाता संख्या 122 खसरा नं. 562 रकबा 1.58 है0 भूमि वादी कम 3 दिनेश कुमार के खाते दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादिया क्रम 3 ता 7 अपने हिस्से की भूमि का परित्याग बराबर–बराबर वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पक्ष में किये जाने से उक्त भूमि में इनका कोई हक नही रहेगा। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार अन्ता को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में वर्णित भूमि पर समस्त प्रकार के भार / ऋण (रहन) यदि कोई होतो यथावत दर्ज किया जावे। एवं आवश्यक हो तो नियमानुसार हकतर्क स्टाम्प डयूटी जमा करवाई जाकर निर्णय अनुसार पालना कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे।

उपखण्ड अधिकारी
अन्ता